प्रेषक,
युगल किशोर पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
महानिदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादूनः दिनांक 02 अप्रैल, 2025

संस्कृति अनुभाग

विषय–जनपद चम्पावत में निर्माणधीन प्रेक्षागृह के अवशेष कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–1783/सं0नि0उ0/दो–3(प्रे0 चम्पावत)/2024–25, दिनांक 04–09–2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चम्पावत में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह के अवशेष कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम द्वारा पुनरीक्षित/संशोधित आगणन में पूर्व में अवमुक्त तथा जिला योजना से प्राप्त धनराशि रू0 267.78 लाख (रू0 189.28 लाख + रू0 78.50 लाख) धनराशि सम्मिलित करते हुए रू0 522.00 लाख (पांच करोड बाईस लाख) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए अवशेष धनराशि रू0 254.22 लाख (रू0 522.00 लाख–रू0 267.78 लाख) के सापेक्ष प्रथम किश्त रू0 101.68 लाख की धनराशि (रू0 एक करोड़ एक लाख अड़सठ हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(i) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(ii) धनराशि कार्यदायी संस्था को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के पश्चात् जनपद स्तर पर भी कार्य प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को अनुबन्ध में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए।

(iii) कार्य के आंगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु निदेशक/कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेंगें।

(iv) निर्माण कार्य NBC, Uttarakhand Building Bye-Laws एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाए।

File No. CR-CONS/1/10/2022-VI-2-Culture and Religion Department (Computer No. 40202)
Generated from eOffice by UMRAO SINGH GUSAIN, RO-Culture and Religion Section-USG, REVIEW OFFICER, Culture and Religion Department

(v) प्र0वि0 / कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित् कर लिया जाए कि बजट के आधार पर भवनों का निर्माण इस प्रकार से हो कि निर्मित भवन को उपयोग में लाया जा सकें। अपरिहार्य परिस्थिति में बजट अनुपलब्धता के कारण कार्य को रोकना पड़े तो तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित Stage पर ही रोका जाये।

(vi) कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व भवन की Structural Design, एवं Drawing किसी अधिकृत संस्थान से वैट अवश्य करायी जाय।

(vii) अग्नि सुरक्षा हेतु परिसर में Inbuilt Fire Safety Mechanism का प्राविधान किया जाए तथा नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाए। कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा के कार्यो के प्राविधान को अग्नि सुरक्षा विभाग से वैट अवश्यक कराया जाए तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अग्नि सुरक्षा के कार्यो को मानको के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(viii) परिसर में विद्युतीकरण के प्राविधानों का विशेष ध्यान रखा जाए। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning Protection System IEC 62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाये। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विद्युतीकरण के प्राविधान को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाए तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विद्युतीकरण के कार्यो को मानको के अनुसार पूर्ण किये जान का प्रमाण पत्र विद्युत सुरक्षा विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। विद्युतीकरण कार्यो को विद्युत / यांत्रिक अभियन्ताओं से ही सम्पादित कराया जाए।

(ix) तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराये जायें।

(x) जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम पोर्टल / बाजार से नियमानुसार प्राप्त करते हुए दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही इन मदों का कार्य कराया जाए।

(xi) योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness, एवं Energy Efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(xii) योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

(xiii) परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद् आदि की फीस में कोई वृद्धि नही होगी। वास्तुविद् / परामर्शी सेवायें लेने हेतु वित्त अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 96873 दिनांक 07 फरवरी 2023 का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

(xiv) N.S.I मदों कार्य हेतु शा0सं0–50 / XXVII(7) / 2012, दिनांक 12.04.

CR-CONS/1/10/2022-VI-2-Culture and Religion Department (Computer No. 40202)
ed from eOffice by UMRAO SINGH GUSAIN, RO-Culture and Religion Section-USG, REVIEW OFFICER, Culture and Religion Department on 02/05/2025 10:02 AM

2012, 152/887/मार्गसि0/रा0यो0आ0/2021, दिनांक 04.02.2021 एवं 103/XXVII(7)32/ 2007 टी0सी0-I दिनांक 21.07.2022 तथा 1389/687/मार्ग0सि0/रा0यो0आ0/2022 दिनांक 03.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली 2017 (यथा-संशोधित) के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(xv) कार्यदायी संस्था के साथ M O U के सम्बन्ध में शा0सं0-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर 2008, 571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19 अक्टूबर 2010 तथा 426/XXVII(7)/2013, दिनांक 22 फरवरी 2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xvi) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

(xvii) निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट, सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का निर्माण से पूर्व आई.एस. कोड के अनुरूप समय-समय पर NABL प्रयोगशाला में परीक्षण आवश्यक कराया जाये।

(xviii) विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xix) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(xx) मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से निर्गत शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 तथा शासनादेश संख्या 3881/PS-CS/2023, दिनांक 20 जुलाई, 2023 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त कार्यवाही विभाग के मानकों के अनुसार अथवा प्रत्येक तीन माह में अथवा आवश्यकतानुसार दोहराई जानी सुनिश्चित की जाये।

(xxi) भवन में Green Building हेतु Energy Conservation Building Code (ECBC) के अनुसार आवश्यक प्राविधान किये जाए।

(xxii) तकनीकी स्वीकृति से पूर्व भवन के निर्माण/डिजाईन में भूकम्परोधी मानको IS-1893, IS-13920 तथा IS-4326 का प्राविधान किये जाने तथा भवन की संरचनात्मक सुदृढता (Structural Stability)का प्रमाण पत्र किसी अधिकृत संस्थान से प्राप्त किया जाय।

(xxiii) कार्य प्रारम्भ से पूर्व प्रस्तावित समस्त कार्ययोजना की तथ्यों/दृष्टिकोण के अनुसार मृदा परीक्षण रिपोर्ट व भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाय।

(xxiv) प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व स्टील की मात्रा की गणना BBS के अनुसार

File No. CR-CONS/1/10/2022-VI-2-Culture and Religion Department (Computer No. 40202)
Generated from eOffice by UMRAO SINGH GUSAIN, RO-Culture and Religion Section-USG, REVIEW OFFICER, Culture and Religion Department

AnyScanner

सुनिश्चित् कर ली जाएगी।

(xxv) उक्त प्रेक्षागृह की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से की जाए।

(xxvi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाए तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(xxvii) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(xxviii) व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय।

(xxix) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना से धनावंटन न किया गया हो। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराया जाए।

(xxx) अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रस्तुत योजनाओं का औचित्य व आंगणन की लागत की उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, संस्कृति का होगा।

(xxxi) निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत किये गये मदों व उद्देश्यों के क्रियान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यो की लागत एवं समय में वृद्वि किसी भी दशा में न होने पाये, यह भी सुनिश्चित किया जाय।

(xxxii) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की निर्धारित अवधि वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों एवं लक्षित आउटपुट व आउटकम के अनुसार ही प्रगति हो रही है और उसमें कोई विचलन नही हो रहा है।

(xxxiii) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि का किसी भी स्थिति में पार्किंग ऑफ फण्ड नहीं किया जायेगा।

(xxxiv) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह

AnyScanner

की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(xxxv) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन 2018 (यथासंशोधित) में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

(xxxvi) कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा कर निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(xxxvii) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।

(xxxviii) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

(xxxix) किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xl) कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टेण्डर में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकोष में जमा कर दिया जाये।

(xli) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन आख्या रंगीन छायाचित्रो सहित तीन प्रतियों में निदेशालय को उपलब्ध करायी जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्यों की डुप्लीकेसी न हो।

(xlii) विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

(xliii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया

File No. CR-CONS/1/10/2022-VI-2-Culture and Religion Department (Computer No. 40202)
Generated from eOffice by UMRAO SINGH GUSAIN, RO-Culture and Religion Section-USG, REVIEW OFFICER, Culture and Religion Department on 02/05/2025 10:02 AM

AnyScanner

जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार, वित्त विभाग एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाए।

(xliv) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये समुचित पर्यवेक्षण किया जाये।

(xlv) तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण भी सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

(xlvi) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के परियोजा प्रबन्धक एवं निदेशक, संस्कति पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जाये।

(xlvii) स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

(xlviii) व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–I/287566/E–79713/09(150)/2019 /XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त वित्तीय नियमों/शासनादेशों/ आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xlix) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/ 2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य सम्पादित किया जाय।

(l) परियोजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य की धीमी प्रगति के फलस्वरूप उत्पन्न पार्किंग आफ फण्ड की स्थिति से प्राप्त ब्याज की धनराशि को कार्यदायी संस्था द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा तथा साक्ष्य निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(li) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–I/ 161831/2023 दिनांक 16 अक्टूबर 2023 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया

AnyScanner

जाए।

(lii) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(liii) स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(liv) अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जाये तथा उक्त के सापेक्ष अद्यतन रंगीन छायाचित्रों सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक शासन को समर्पित कर दिया जाये।

2. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला एवं संस्कृति– 800–अन्य व्यय–03–सांस्कृतिक परिसर/कला केन्द्र/विद्यालय/ऑडिटोरियम आदि का निर्माण–53–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के पूंजीगत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

3. उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश 130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4. यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/292486/2025, दिनांक 25.4.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

Digitally signed by
Yugal Kishore Pant
Date: 30-04-2025
13:58:00
(युगल किशोर पन्त)

सचिव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड (देहरादून)।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (ऑडिट) महालेखाकार भवन, कौलागढ़ (देहरादून)।

File No. CR-CONS/1/10/2022-VI-2-Culture and Religion Department (Computer No. 40202)
Generated from eOffice by UMRAO SINGH GUSAIN, RO-Culture and Religion Section

AnyScanner

3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड (देहरादून)।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3 / नियोजन विभाग।
6. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्पावत।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Ramesh Singh Rawat
Date: 01-05-2025
10:02:51

(रमेश सिंह रावत)
अनु सचिव।

AnyScanner